

#2 रिक्त भूमि कर

(GST हटाकर रिक्त भूमि कर लाने का प्रस्ताव)

इस क़ानून के गेज़ेट में छपने के बाद जीएसटी रद्द हो जाएगा। प्रस्तावित रिक्त भूमि कर क़ानून में कुल 16 धाराएं हैं। निचे इस क़ानून के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। हेश कोड : **#CancelGst #EmptyLandTax**

इस क़ानून के गेज़ेट में प्रकाशित होने के साथ ही जीएसटी क़ानून रद्द होगा, तथा नागरिकों द्वारा धारण की गयी अतिरिक्त भूमि 1% सालाना की दर से कर योग्य होगी। यह क़ानून भूमि पर कर नहीं लगाता, बल्कि अनुपयोगी एवं अकार्यशील भूमि को कर के दायरे में लेता है। रिक्त भूमि धारण करने वाला भू-स्वामी साल में 1 बार रिक्त भूमि कर का रिटर्न भरेगा। यदि वह आयकर दाता भी है तो चुकाए गये आयकर को देय रिक्त भूमि कर में से घटा दिया जाएगा। रिक्त भूमि कर से सरकार के पास उतना पैसा इकट्ठा हो जायेगा जितना Gst से हो रहा है। प्रस्तावित रिक्त भूमि कर क़ानून का पूरा ड्राफ्ट दिए गए QR कोड से डाउनलोड करें अथवा इस लिंक पर जाएं - [Tinyurl.com/EmptyLandTax](https://tinyurl.com/EmptyLandTax)



इस क़ानून के गेज़ेट में आने से निम्नलिखित बदलाव आयेंगे

- (1) **उपभोक्ता के लिए :** Gst वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर कर है। आप जो भी वस्तु खरीदते हैं, उस पर Gst चुकाते हैं। जब आप बिल नहीं लेते तब भी आप यह कर चुकाते हैं, क्योंकि यह लागत में जुड़ा होता है। विभिन्न वस्तुओं पर Gst की दरें 5% से लेकर 28% तक हैं। अतः आप जीवन यापन के लिए जितना भी खर्च करते हैं, उसका औसतन 15% सरकार के पास कर के रूप में चला जाता है। यदि कोई परिवार घर चलाने के लिए (राशन, बिजली-पानी-फोन के बिल, यात्रा, दवाइयां आदि) पर 20,000 ₹ मासिक खर्च करता है तो इसमें से 3,000 ₹ वह Gst के रूप में चुका देता है। रिक्त भूमि कर आने के बाद Gst हट जायेगा अतः वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर उपभोक्ता को कोई कर नहीं चुकाना होगा।
- (2) **कारोबारियों के लिए :** इस क़ानून के आने के बाद माल बनाने, माल खरीदने, बेचने, स्टॉक रखने, ट्रांसपोर्ट करने आदि पर न तो कोई टेक्स चुकाना होगा, और न ही कारोबारी को इसका हिसाब सरकार को देना होगा। यदि व्यक्ति ऐसी वस्तु का कारोबार कर रहा है जो प्रतिबंधित एवं लाइसेंस शुदा वस्तुओं (जैसे मादक पदार्थ, विस्फोटक आदि) की श्रेणी में नहीं आती तो सरकार का उसके कारोबार में कोई दखल नहीं होगा।

भारत में धनिक वर्ग एवं नेता-अधिकारी आदि बड़े पैमाने पर जमीनों में निवेश करते हैं। मतलब वे जमीन खरीद कर छोड़ देते हैं, और दाम बढ़ने पर इसे बेच कर नयी जमीन ले लेते हैं। इस तरह कीमती जमीनों की होर्डिंग (Hoarding) की जाती है। इस क़ानून की केन्द्रीय संरचना यह है कि इस्तेमाल में न आने वाली भूमि पर कर लिया जाए, ताकि बाज़ार में जमीन की आवक बढ़े और जमीनों के दाम कम हों। इस क़ानून के आने के बाद जमीन के दाम औसतन 60% से 70% तक गिर जायेंगे। जमीन सस्ती होने से कम आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए घर, कारखाना, कार्यालय आदि बनाने के लिए जमीन खरीदना आसान हो जायेगा।